# छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
एलआईसी परिसर,पंडरी,रायपुर 492004(छ.ग.)दूरभाष:2583789,फैक्सः 0771–2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

## निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 01/सीएसआईडीसी/तक.–V/2010–11 रायपुर, दिनांक 11/05/2010

मुहरबंद निविदायें फार्म–''ए'' (प्रतिशत दर) पर प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., रायपुर(छ.ग.) द्वारा भवन निर्माण कार्य हेतु दिनांक 01/06/2009 से एवं विद्युत कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., रायपुर(छ.ग.) द्वारा दिनांक 01/11/2002 से जारी एवं निविदा जारी करने की दिनांक तक संशोधित अनुसूची दर (एस.ओ.आर.) पर इस निगम में वाँछित श्रेणी तथा इससे ऊपर की श्रेणी में पजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 02/06/2010 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

| ्ररु क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की अनुमानित लागत (रू. लाख में) | अमानत राशि | निविदा प्रपत्र मूल्य | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदाकार की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम पुरैना, रिंग रोड क्रमांक–1, खनिज भवन के सामने, आंतरिक विद्युतीकरण कार्य सहित (भू–तल एवं प्रथम तल में) उद्योग भवन का शेष निर्माण कार्य। | 362.50 | 2,72,000.0 | 3000/– | 10 माह वर्षाऋतु सहित | अ–4 एवं इससे ऊपर |

शर्तें :–

(1) कोरे निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता केवल उन्हीं ठेकेदारों को होगी जिन्होंने कुल कार्य का कम से कम 50% लागत का समान प्रकृति का कार्य एक ही अनुबंध के तहत्, विगत तीन वर्षों में सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो। इसके लिए उन्हें कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी से जारी कार्यादेश की प्रति एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही वैध अद्यतन वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण–पत्र, जीवित पंजीयन, जीवित साल्वेन्सी एवं टर्न ओव्हर की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के प्र.कार्यपालन अभियंता, तक–5 से कार्यालयीन दिवस में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 01/06/2010 तक अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व सीएसआईडीसी मुख्यालय, पंडरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(3) उक्त निविदा के अंतर्गत उद्योग भवन के अब तक पूर्ण किये गये निर्माण कार्य के पश्चात् का (भू–तल एवं प्रथम तल) शेष कार्य संपादित किया जाना है। अद्यतन स्थिति में पूर्व से संपादित कार्य में आवश्यकता के अनुरूप सुधार कार्य, निविदाकार के द्वारा किये जाने होंगे, जिसके लिये पृथक से कोई भुगतान देय नही होगा। निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्य स्थल एवं अद्यतन निर्मित भवन का विस्तृत अवलोकन करने की संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।

(4) उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से तीन वर्ष (36 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना है, जिसके लिये कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी तथा वह राशि तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।

(5) कार्य में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजों का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा।

(6) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) कार्य निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार ही संपादित करना होगा।

(8) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction work) पर 1% उपकर (सेस) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जायेगी।

(9) निविदा कार्यों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) प्र.कार्यपालन अभियंता, तकनीकी कक्ष–5, सीएसआईडीसी कार्यालय, जीवन बीमा परिसर, पंडरी, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(10) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

प्र. कार्यपालन अभियंता (तक–V)